झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०–दु०–08 / 2009 ...... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री मुखराम पाण्डेय, तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा द्वारा उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में तालाब / कूपों इत्यादि योजनाओं के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अनियमितता की पुष्टि के आलोक में श्री पाण्डेय, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय पत्रांक– 1099 दिनांक– 26.03.2009 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री पाण्डेय, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i)(क) दक्षिणीडीह तालाब योजना के कार्यों की मापीपुस्ति जाँच दल को उपलब्ध नहीं कराना।

(ख) इस योजना में प्राक्कलन में सापेक्ष रूपये 32,551.44 / – का अनियमित भुगतान।

2. (क) हरिनारायणपुर तालाब योजना के कार्यों की मापपुस्ति जाँच दल को उपलब्ध नहीं करना।

(ख) इस योजना के प्राक्कलन के सापेक्ष रूपये 55,834.66 का अनियमित भुगतान।

(ग) कार्य असंतोषप्रद पाया जाना।

3. श्री पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। श्री पाण्डेय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया है कि दक्षिणीडीह तालाब का निर्माण उनके द्वारा कराया गया है लेकिन हरिणारायणपुर तालाब के निर्माण में उनकी कोई भूमिका नहीं है। श्री पाण्डेय द्वारा मात्र दक्षिणीडीह के तालाब निर्माण में अपनी सहभागिता को स्वीकार किया है और इस योजना में प्राक्कलन के सापेक्ष नियमित भुगतान को अपने पेंशन की राशि से काट लेने का अनुरोध किया गया।

4. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री मुखराम पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृति द्वारा दक्षिणीडीह तालाब के कार्य पर उड़नदस्ता के प्रतिवेदन के अनुसार सहायक अभियंता के रूप में उनके द्वारा अधिक भुगतान की गयी राशि 32,551.44 / – (बत्तीस हजार पाँच सौ इक्यावन रूपये चौवालीस पैसा) रूपये की राशि श्री पाण्डेय के पेंशन से कटौती करते हुए उन्हें आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 5320 राँची / दिनांक 12/12/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची / उप सचिव,(प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री मुखराम पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृति, ग्राम–मघौल (हाजीपुर रोड) पोस्ट–सुस्ता, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार–842001 / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/12/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव